बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

संचिका सं०-स०क०निग०-181/2022-......4495........./श्रीमती कुमारी रेखा, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधुबन, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति बेनीपट्टी, मधुबनी के विरुद्ध श्री राणा रणधीर, पूर्व मंत्री-सह-सदस्य, बिहार विधान सभा के पत्रांक-178/आ0 दिनांक-13.12.2022 द्वारा सेविकाओं से अभद्र व्यवहार करने, आँगनबाड़ी केन्द्र के संचालन के एवज में 2000/- रूपये प्रत्येक केन्द्रों से कमीशन के रूप में माँगने आदि का आरोप लगाया गया है। कथित आरोपों की जांच विभागीय अधिकारी से कराये जाने पर प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आरोपों के समीक्षोपरांत सुश्री रेखा के खिलाफ आरोप पत्र गठित किया गया।

उक्त आरोप पत्र के आरोपों पर विभागीय पत्रांक-2160 दिनांक-25.04.2023 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से लिखित अभिकथन की माँग की गई। आरोपित पदाधिकारी के पत्रांक-187 दिनांक-06.05.2023 द्वारा अपना स्पष्टीकरण/लिखित अभिकथन विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिसके समीक्षोपरांत विभागीय विभागीय संकल्प सं0-4391 दिनांक-24.08.2023 द्वारा सुश्री रेखा के खिलाफ विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें सुश्री मार्गण सिन्हा, विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग को संचालन नियुक्त किया गया।

संचालन-सह-विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग द्वारा अपने पत्रांक-05 दिनांक-01.01.2024 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया था। जिसमें आरोप पत्र के आरोप सं0- 01 एवं 02 को पूर्णतः प्रमाणित नहीं होने एवं आरोप सं0-03 को अप्रमाणित पाये जाने का निष्कर्ष अंकित किया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी एवं नियमावली के नियम-18(1) के प्रावधानों के तहत विभागीय पत्रांक-1298 दिनांक-07.03.2024 द्वारा संचालन पदाधिकारी को अभिलेख वापस करते हुए पुनः जाँच (Further Inquiry) कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। संचालन-सह-विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग द्वारा पुनः मामले की जाँच कर अपने पत्रांक-5699 दिनांक-12.11.2024 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप पत्र के सभी आरोप को अप्रमाणित पाये जाने का निष्कर्ष दिया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती कुमारी रेखा, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधुबन, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति बेनीपट्टी, मधुबनी को भविष्य में सचेत रहने के हिदायत के साथ आरोप मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्रीमती कुमारी रेखा, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधुबन, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति बेनीपट्टी, मधुबनी को भविष्य में सचेत रहने के हिदायत के साथ आरोप मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(भोगेन्द्र नाथ झा)
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-181/2022- 4495 पटना-15 दिनांक :- 12.8.2026

ईमेल/
निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त, /तिरहुत/दरभंगा/निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/मधुबनी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/मधुबनी /माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव / उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / विभागीय आई0टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु) श्रीमती कुमारी रेखा, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधुबन, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति बेनीपट्टी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।